शिविर प्रभारी
क्र.स. 121
दिनांक 05.05.2023
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023

कैम्प :- ग्राम पंचायत
जोधावास
दिनांक- 05-05-2023

प्रकरण संख्या 76/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रेमसिंह पुत्र प्रमुसिंह जाति राव नि. बोरली		तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना

आदेश।

प्रकरण में प्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र प्रमुसिंह जाति राव निवासी बोरली ने अन्तगर्त धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा बोरली में मेरे नाम खसरा संख्या 97 रकबा 1.80 है. खसरा संख्या 346 रकबा 0.57 है. कुमले रकबा 2.37 है. आयी हुई है। जिसमें मेरा नाम पिन्टुसिंह दर्ज है, जबकी अन्य सभी सरकारी दस्तावेज में मेरा सही नाम प्रेमसिंह है अतः मेरा राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम करने का तहसीलदार, चितलवाना आदेश करावें।

आज दिनांक 05.05.2023 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के मजमें आम में प्रार्थी के नाम बाबत पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ की प्रार्थी के पिता के देहान्त होने पर प्रार्थी को लाड-प्यार में पिन्टु के नाम से बुलाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में पिन्टुसिंह दर्ज किया गया। जबकी वास्तव में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह है।

पत्रावली के संग संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पिन्टूसिंह दर्ज है अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, जन आधार एव जाति प्रमाण पत्र में प्रेमसिंह दर्ज है।

प्रार्थी के शपथ पत्र एंव अन्य दस्तावेज के आधार पर मौजा बोरली के खसरा संख्या 97 रकबा 1.80 है, खसरा संख्या 346 रकबा 0.57 है कुमले रकबा 2.37 है में प्रार्थी का नाम पिन्टुसिंह से संशोधन कर प्रेमसिंह राजस्व में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, चितलवाना को आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]ना